छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–28/राजस्व/राहत/2011 रायपुर, दिनांक /04/2013
प्रति,

कलेक्टर,
जिला–रायगढ़, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अन्तर्गत आबंटन वर्ष 2013–14
संदर्भः–कलेक्टर रायगढ़ का पत्र क्र0 3182/राले/2012 दिनांक 14.05.2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड बिलासपुर का पत्र दि0 13.04.2013 तथा वन मण्डल अधिकारी रायगढ़ का पत्र दि0 6.06.2012

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें । मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यपालिक समिति की बैठक दिनांक 9.03.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2011में आई बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों को वन विभाग द्वारा प्रदाय की गई बांस बल्ली के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद मांग संख्या–58, मुख्यशीर्ष–2245–दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत मद के अन्तर्गत रूपये 11020518.00 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख बीस हजार पांच सौ अठारह मात्र) विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षो के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन आबंटन सौपा जाता है ।

क्रमांक	जिला	मांग संख्या–58, मुख्यशीर्ष–2245 दैवीय विपत्तियो के संबंध में राहत–02 बाढ़ चक्रवात आदि–112 जनसंख्या का निष्क्रम–7357 बाढ़ अनुदान आदि में सहायता–14 सहायक अनुदान–012 अन्यव्यय
1	रायगढ़	9395034.00
2	जांजगीरचांपा	1625484.00
योग		11020518.00

2. उक्त आबंटन जिस मद के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है उसी मद के अंतर्गत आहरण एवं व्यय किया जावें ।
3. आबंटित राशि का उपयोग वनमण्डल अधिकारी रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड बिलासपुर द्वारा प्रदाय की गई बांस बल्ली के भुगतान हेतु किया जाये उक्त राशि का उपयोग अन्य मद में नहीं किया जावें ।
4. हितग्राहियों को वास्तविक रूप से बांस एवं बल्ली प्राप्त हुई है, इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत से सत्यापन कराया जाकर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ।

No. 111
Date 17/4/13
STATE UNIT, RAIPUR

5. उक्त आबंटन के विरूद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की मासिक जानकारी माह के 7 तारीख तक उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें ।

6. उपरोक्त आंबटन का उपयोग 31 मार्च 2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें । यदि आबंटित राशि में से कोई राशि शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि शासन को समर्पित की जावें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 1–82/राजस्व/राहत/2012/408 रायपुर, दिनांक 16/04/2013

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. संभागीय आयुक्त, बिलासपुर, संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. वनमंडलाधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ ।
6. मण्डल प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड कोटा परियोजना मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ और जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ ।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग